



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23206

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 3843 वर्ष 2026

ओम प्रकाश

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : महेंद्र सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश का देखते हुए, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रत्यर्थी आदेश से व्यथित महसूस करता है/करती है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 3/नायब तहसीलदार, तहसील कसया, जिला कुशीनगर को वाद संख्या 9951 वर्ष 2025 (कंप्यूटर केस संख्या टी202505440409551) (ओम प्रकाश बनाम घुरहू) को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) को नोट करना उचित और उपयुक्त होगा, जो यह आदेश देता है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर, संबंधित प्राधिकारी को इसे कड़ाई से कानून के अनुसार समयबद्ध अवधि के भीतर निस्तारित करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7)-

"(7). तहसीलदार नामान्तरण के निर्विवाद मामले को वाद दर्ज होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर और नामान्तरण के विवादित मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेंगे और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर संपन्न नहीं होती है, तो उसका कारण दर्ज किया जाएगा।"

5. उक्त प्रावधान के आलोक में और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों के प्रकाश में, प्रत्यर्थी संख्या 3/नायब तहसीलदार, तहसील कसया, जिला कुशीनगर को उक्त आवेदन पर विचार

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करने और उसे कड़ाई से कानून के अनुसार, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, शीघ्रता से गुण-दोष के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया जा रहा है।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विरोधी तर्कों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

3 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"